रक्षा लेखा नियंत्रक, देहरादून एवं अन्य

बनाम

धनी राम एवं अन्य

10 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत, पी. के. बालासुब्रमण्यन और डी. के. जैन, न्यायाधीशगण]

सेवा कानूनः

भारत सरकार की आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993:खंड 4

आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं का नियमितीकरण-नियमितीकरण योजना- प्रयोज्यताः- निर्धारित: योजना के खंड 4 के संदर्भ में, सरकार द्वारा उन आकस्मिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा दिया जा सकता है जो योजना की शुरुआत की तारीख तक रोजगार में थे और निरंतर सेवा का एक वर्ष पूरा कर चुके थे-हालाँकि, यह अस्थायी दर्जा देने के उद्देश्य से एक सामान्य दिशा निर्देश प्रतीत नहीं होते है जिनसे सभी आकस्मिक श्रमिकों को जब वे निरंतर सेवा का एक वर्ष पूरा करते है लागू किया जा सके। केंद्र सरकार, जब भी आवश्यक हो, अस्थायी दर्जा देने के लिए ऐसी योजना बना सकती है।

उत्तरदाताओं को 1989-95 अवधि के दौरान रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में आकस्मिक मजदूरों के रूप में नियुक्त किया गया था। आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए भारत सरकार की "आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993"नामक एक योजना 1.9.1993 से लागू हुई।उत्तरदाताओं को सेवा से अलग कर दिया गया क्योंकि उनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था।उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए नियोक्ता को निर्देशों के लिए रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें नियमित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पुनर्विलोकन याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी-नियोक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहन पल एवं अन्य [2002] 4 एस. सी. सी. 573 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है और इसलिए, अरक्षणीय।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया:

"अस्थायी" दर्जा प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक श्रमिक को नियमितीकरण योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए था और उसे कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा भी प्रदान करनी चाहिए थी, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष में कम से कम 240 दिनों की अवधि के

लिए या सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिनों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था।योजना के खंड 4 से, यह एक सामान्य दिशानिर्देश प्रतीत नहीं होता है जिसे सभी आकस्मिक श्रमिकों को "अस्थायी"दर्जा देने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, जब वे एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करते हैं।निश्चय ही, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसी भी योजना को तैयार करे और जब भी यह आवश्यक पाया जाए कि आकस्मिक मजदूरों को "अस्थायी"का दर्जा दिया जाए और बाद में उन्हें समूह "डी"पदों में शामिल किया जाए।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय हैं।एस [पैरा 12 और 14]

भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहन पाल एवं अन्य, [2002] 4 एस. सी. सी. 573; भारत संघ बनाम गगन कुमार, जे. टी. [2005] 6 एस. सी. 410 और महानिदेशक, दूरदर्शन, मंडी हाउस, नई दिल्ली और अन्य बनाम.मानस डे और ओआरएस., [2005] 13 एससीसी 437, पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील सं. 2940-2941।

उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.4.2003 और 28.8.2004 से 2002 के डब्ल्यू. पी. संख्या 939 (एस. बी.) और रेव. ई. एप्प्लन।सं. C.M.W.P में. सं. 939 (SB)/2002।

अपीलार्थियों की ओर से आर. मोहन, एएसजी, एसडब्ल्यूए कादरी, आर. सी. कथिया और अनिल कटियार।

प्रत्यर्थीगण के लिए राजेश के. शर्मा और शालू शर्मा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती उत्तरांचल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2002 की रिट याचिका No.939 (SB) दिनांक 16.4.2003 में पारित आदेश और दिनांक 28.8.2004 की पुनर्विलोकन याचिका पर आदेश को दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

4. प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि उनको नियमित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए और उन्हें न्यूनतम वेतनमान भुगतान किया जाना चाहिए। उत्तरदाता इस अवधि 1989-95 के दौरान रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में आकस्मिक मजदूरों के रूप में कार्यरत थे।कार्य की उपलब्धता के आधार पर नियोजन की प्रकृति आकस्मिक/मौसमी थी।

5. भारत सरकार की आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना, 1993 (संक्षेप में 'योजना') नामक एक

योजना भारत सरकार, कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई थी।यह योजना 1.9.1993 से लागू हुई।

6. OM No.40011 6/2002/स्थापना दिनाक 06.06.2002 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसमें दोहराया गया था कि अस्थायी दर्जा से संबंधित योजना चालू नहीं थी और अस्थायी स्थिति केवल योजना के खंड 4 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन योजना के तहत प्रदान की जा सकती है।उत्तरदाताओं को सेवा से पृथक कर दिया गया क्योंकि उनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था।उन्होंने यह रुख अपनाते हुए रिट याचिका दायर की कि वे सेवा में बने रहने के हकदार हैं क्योंकि वे 3.7.2002 तक काम कर रहे थे।

7. प्रत्यर्थीयों द्वारा रिट याचिका का विरोध किया गया था।रिट याचिका में यह रुख लेते हुए कि रिट याचिकाकर्ता नियमित करने की योजना के दायरे में नहीं थे क्योंकि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, वे अस्थायी दर्जा देने के हकदार नहीं थे।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें नियमित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। एक पुनर्विलोकन याचिका इस रुख को लेते हुए दायर की गई थी कि भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहन पाल एवं अन्य। [2002] 4 एस. सी. सी. 573 में इस न्यायालय के फैसले को

देखते हुए रिट-याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं थे।हालांकि, उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

8.अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से मोहन पाल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत है और इसलिए, अरक्षणीय है।

9. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

10. योजना का पैराग्राफ 4 (1) इस प्रकार हैः

> "अस्थायी दर्जा-अस्थायी दर्जा उन सभी आकस्मिक मजदूरों को प्रदान किया जाएगा जो इस ओ. एम. जारी होने की तारीख को रोजगार में हैं और जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है। जिसका अर्थ है कि वे कम से कम 240 (सप्ताह में 5 दिन कार्य करने वाले कार्यालयों के मामलों में 206 दिन) की अवधि के लिए कार्यरत रहे होंगे।"

11.योजना के पैराग्राफ 3 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

यह योजना इन आदेशों के जारी होने की तारीख को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ अधिकारियों पर लागू होती है।

12. योजना का खंड 4 बहुत स्पष्ट है कि "अस्थायी"का दर्जा उन आकस्मिक मजदूरों को दिया जाना है जो योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में थे।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि यह एक चालू योजना है और जब आकस्मिक मजदूर एक वर्ष में 240 दिन या 206 दिन (सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में) काम पूरा करते हैं, तो वे "अस्थायी"दर्जा प्राप्त करने के हकदार होते हैं। स्पष्ट रूप से योजना के खंड 4 में इसे एक चालू योजना के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है।"अस्थायी"दर्जा प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक श्रमिक को योजना शुरू होने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए था और उसे कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा भी प्रदान करनी चाहिए थी, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष में कम से कम 240 दिनों की अवधि के लिए या सप्ताह में 5 दिन रखने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिनों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था।योजना के खंड 4 से, यह सभी आकस्मिक श्रमिकों को "अस्थायी"दर्जा देने के उद्देश्य से लागू किया जाने वाला एक सामान्य दिशानिर्देश प्रतीत नहीं होता है, जब वे एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करते हैं।बेशक, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसी भी योजना को तैयार करे और जब भी यह आवश्यक पाया जाए कि आकस्मिक मजदूरों को "अस्थायी"का दर्जा दिया जाए और बाद में उन्हें समूह "डी"पदों में शामिल किया जाए।

13. मोहन पाल के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित इस स्थिति को भारत संघ बनाम गगन कुमार, जे. टी. (2005) 6 एस. सी. 410 और महानिदेशक, दूरदर्शन, मंडी हाउस, नई दिल्ली और अन्य बनाम मानस डे और ओआरएस., [2005] 13 एससीसी 437 में दोहराया गया था ।

14. उपरोक्त अनुरूप, उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय हैं, और उन्हें अपास्त किया जाता है। बिना किसी शास्ति आदेश के अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

एसकेएस.

अपीलों को स्वीकार किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी रविन्द्र कुमार माहेश्वरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।